

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. :: 04 / 2018

सरकार बनाम विजयपाल, संजय पुत्रगण फुलाराम व सुनिल
पुत्र धनपतराम जाति- जाट, निवासी- पीपली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान विजयपाल व सुनिल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान विजयपाल, संजय पुत्रगण फुलाराम व सुनिल पुत्र धनपतराम जाति- जाट, निवासी- पीपली द्वारा रोही मौजा पीपली की राजकीय भूमि ख.नं. 338 के कुल रकबा 0.82 है 0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है. भूमि पर बान, जोत लगाकर व बाड कर व 0.01 है. पर फसल चना काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान विजयपाल व सुनिल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि हम पूर्वजों के समय से ही उक्त खसरा को काशत करते आ रहे हैं। गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 09 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं.....पर
वर्ष 20.7.4.....में रूपये.....कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़